भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2057

सोमवार, 28 नवम्बर, 2016/7 अग्रहायण, 1938 (शक)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

2057. श्रीमती वीणा देवी:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री राजेश कुमार दिवाकर:
कुँवर भारतेन्द्र सिंह:
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री पंकज चौधरी:
श्री प्रेम दास राई:
श्री सी. महेंद्रन:
श्री देवजी एम. पटेल:
डॉ. प्रभास कुमार सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन करने एवं पूरे देश के लिए एक समान मजदूरी नीति बनाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा उपर्युक्त अधिनियम में कब तक संशोधन कर लिया जाएगा तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए विभिन्न पक्षों से सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत देश में कुशल, अर्ध-कुशल एवं अकुशल कामगारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार एवं राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा कृषि मजदूर सहित विशेषकर लिंग आधार पर मजदूरी में अंतर के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/जा रहे सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कामगारों को न्यूनतम मजदूरी मिले तथा उनका किसी भी प्रकार से शोषण न हो, यह सुनिश्चित किए जाने के लिए क्या कोई निगरानी तंत्र मौजूद है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश मे कामगारों की बेहतरी के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य मजदूर कल्याण उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री बंडारु दत्तात्रेय)

(क) और (ख): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रस्तावित सशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ सभी नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का लागू होना, "समुचित सरकार" की परिभाषा में परिवर्तन,राज्य सरकार द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/समीक्षा/ संशोधन, केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी प्रारम्भ करना, शास्ति में वृद्धि इत्यादि शामिल हैं। श्रम कानूनों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है तथा ऐसे संशोधन त्रिपक्षीय परामर्शों के माध्यम से किए जाते हैं।

जारी/-

समान वेतन संरचना की और बढ़ते हुए सरकार द्वारा 1996 में स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रीय फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू) की परिकल्पना प्रारंभ की गई थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। 01.07.2015 से एनएफएलएमडब्ल्यू को संशोधित करके 160/-रुपये प्रतिदिन किया गया है।

(ग) और (घ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारें अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने, समीक्षा करने तथा संशोधित करने हेतु समुचित सरकारें हैं। राज्यों में न्यूनतम मजदूरियों में सामाजिक-आर्थिक तथा कृषि - जलवायु अवस्थाओं, आय, अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों, भुगतान क्षमता, उत्पादकता तथा स्थानीय दशाओं में अंतर के कारण असमानता है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की दरों की रेंज को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में है।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है तथा महिला कामगार अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कामगारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित समान वेतन एवं अन्य सुविधाओं की पात्र हैं।

(ड.): इस अधिनियम का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्यों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन सामान्यत: केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रुप में पदनामित मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। ये अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं तथा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने अथवा कम भुगतान करने के मामलों का पता लगने पर नियोक्ताओं को वेतनों में हुई कमी का भुगतान करने का परामर्श देते हैं। अनुपालन न करने पर चूककर्ता नियोक्ताओं के खिलाफ शास्ति उपबंध लगाए जाते हैं।

*

******

अनुबंध

दिनांक 28.11.2016 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2057 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

01.10.2016 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों में मजदूरी की न्यूनतम दरों की श्रेणीवार रेंज (अनंतिम)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	श्रेणियां							
		अकुशल		अर्ध कुशल		कुशल		अत्यधिक कुशल	
		न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.
	केन्द्रीय क्षेत्र	214.00	374.00	219.00	414.00	238.00	456.00	259.00	495.00
1	आन्ध्र प्रदेश	145.88	-	-	-	-	-	-	895.83
2	अरुणाचल प्रदेश	150.00	170.00	160.00	180.00	170.00	190.00	-	-
3	असम	240.00	-	280.00	-	350.00	-	450.00	-
4	बिहार	181.00	197.00	188.00	206.00	232.00	251.00	282.00	308.00
5	छत्तीसगढ़	163.00	252.00	210.00	257.00	218.00	265.00	272.00	275.00
6	गोवा	215.00	307.00	217.00	307.00	223.00	307.00	233.00	307.00
7	गुजरात	150.00	276.00	276.00	284.00	284.00	293.00	-	-
8	हरियाणा	292.31	292.31	306.92	322.27	338.38	355.30	373.07	373.07
9	हिमाचल प्रदेश	180.00	185.55	188.47	197.00	216.52	224.17	237.12	284.50
10	जम्मू-कश्मीर *	150.00	150.00	175.00	175.00	225.00	225.00	-	-
11	झारखंड	210.00	225.00	220.00	240.00	290.00	335.00	259.31	360.00
12	कर्नाटक	198.23	-	-	-	-	-	-	343.58
13	केरल	275.46	548.70	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	193.00	263.00	257.00	349.00	303.00	398.00	296.00	399.00
15	महाराष्ट्र	180.00	315.49					-	-
16	मेघालय	170.00	170.00	181.00	181.00	191.00	191.00	212.00	212.00
17	मणिपुर	122.10	122.10	129.97	129.97	132.60	132.60	-	-
18	मिजोरम	220.00	220.00	250.00	250.00	310.00	310.00	380.00	380.00
19	नागालैंड	115.00	115.00	125.00	125.00	135.00	135.00	145.00	145.00
20	ओडिशा	200.00	200.00	220.00	220.00	240.00	240.00	260.00	260.00
21	पंजाब	267.13	277.13	297.13	297.13	331.63	331.63	371.33	371.33
22	राजस्थान	197.00	197.00	207.00	207.00	217.00	217.00	267.00	267.00
23	सिक्किम	220.00	220.00	242.00	242.00	275.00	275.00	319.00	319.00
24	तमिलनाडु	146.00	455.60	-	-	-	-	-	-
25	त्रिपुरा	142.46	346.15	162.81	375.00	184.96	403.85	280.00	405.42
26	उत्तराखंड	200.00	272.12	231.54	291.54	235.31	310.96	249.23	356.35
27	उत्तर प्रदेश	161.00	211.67	233.33	300.71	261.33	354.67	299.17	418.83
28	पश्चिम बंगाल	211.00	278.00	232.00	306.00	255.00	337.00	370.00	-
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	282.00	312.00	294.00	330.00	307.00	381.00	328.00	392.00
30	चंडीगढ़	316.15	316.15	322.00	326.00	333.46	342.11	358.00	358.00
31	दादरा एवं नागर हवेली	268.20	268.20	276.20	276.20	284.20	284.20	-	-
32	दमन और दीव	268.20	268.20	276.20	276.20	284.20	284.20	-	-
33	दिल्ली	316.00	353.00	349.00	390.00	384.00	429.00	-	-
34	लक्षद्वीप	255.20	255.20	280.50	280.20	305.20	305.20	335.20	335.20
35	पुडुचेरी	55.00	255.00	-	-	-	-	-	-
36	तेलंगाना	69.27	363.26						

* आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं। आंकड़े जम्मू कश्मीर के संबंध में 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार मजदूरी की दरें दर्शाते हैं। असम तथा अकुशल कामगारों की दरों में चाय बगीचा कामगार शामिल नहीं हैं।

****